

355  
28/12/21

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जि अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकान रामगढ जिला-अलवर

दाकमदीन

बनाम

जीतलाल वर्मा

किस्म मुकदमा

शां पत्र 212

नं०

2/355

सन्

2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

28.12.2021

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 15.02.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 102 रकबा 0.06, 355 रकबा 0.03, 99 रकबा 0.15, 100 रकबा 0.37, 231 रकबा 0.02 हैक्टैयर बाकेग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर की भौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति रखें तथा रहन बैय ना करें। बशर्ते प्रार्थी साधारण/ रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 15.02.2022 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 15.02.2022 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)

15/2/2022 आज यह पत्रावली पेश हुई।  
वकील वादी उपर। अति पत्रावली पर वकील  
वादी ने पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को आगामी  
तारीख पेशी तक बहाल जाने का निवेदन किया  
लुकार किया जाता है। पत्रावली पर पूर्व में  
जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को आगामी तारीख  
पेशी तक बहाल जाता है। पत्रावली वाले  
अंवाक दिनांक 15/3/22 को पेश हो।




उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

.....दाखिल..... बनाम जी.एम......

प्रकरण सं. 2/10/2020 तारीख रजू.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
5.5.25	<p>पत्रावली उपर दुर। पत्रावली वास्ते नमबी हेतु कायदा क्रम 9/5/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ (अलवर) राज०</b> </p>	
9.5.25	<p>पत्रावली उपर दुर। वकील पार्सी व उपस्थित जज के द्वारा जमाना दे। उरि वरि अंका 2,3,5,6, 12,14 मा. 16 की कोर से कायदा का कोर पत्रावली के नाम पर पेश किया। पत्रावली वास्ते कायदा व शेष उत्तराधिकार अंका 1,4,7 मा. 11, 13 व 17 की नमबी हेतु कायदा क्रम 21.5.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ (अलवर) राज०</b> </p>	
21.5.25	<p>पत्रावली उपर दुर। वकील पार्सी उपस्थित वकील व उनके पार्सी को न्यायालय द्वारा वा. 2 कावाप मा. 9 री गे। कोई उपस्थित नही काया। का. पार्सी का वकील व उनके पार्सी की कायदा पेशी - कायदा दाखिल से खारिज किया जागा है। पत्रावली के नाम शुभा-दोस नमबी को कायदा है। पत्रावली वास्ते वरि वकील कायदा दफ्तरी।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ (अलवर) राज०</b> </p>	

**उपखण्ड अधिकारी,  
गोविन्दगढ (अलवर) राज०**